अध्याय I:

युद्धपोत निर्माण

- एक विहंगावलोकन -

1.1 पृष्ठभूमि

भारत एक बड़ा समुद्रवर्ती देश है, जहाँ समुद्र के साथ अनके महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सुरक्षा सम्बन्धी हित जुड़े हैं। यद्यपि, भारतीय नौसेना की मुख्य भूमिका सुरक्षा के संभावित खतरों को रोकने से जुड़ी है, तथापि, एक आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उदय और उसके भूगोल के कारण शान्ति-काल में भी भारतीय नौसेना की भूमिका उल्लेखनीय रूप से विस्तृत हुई है। अपनी संक्रिया के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए, नौसेना ने 2005 में बनायी गई समुद्री क्षमता परिप्रेक्ष्य योजना (एम.सी.पी.पी.) में 160 पोतों से सशक्त नौसेना को प्रक्षिप्त किया, जिसमें 90 अग्रणी लड़ाकू प्लेटफार्म[1] भी सम्मिलित थे। इसके स्थान पर भारतीय नौसेना के पास एक विस्तृत पोत-निर्माण योजना भी है, जो पोतों की विनिर्दिष्ट आवश्यकताएं, निधियों की उपलब्धता, विभिन्न पोतों को सेवा से हटाए जाने की समय सूची आदि के सम्बन्ध में विचार करने के पश्चात बनाई गई है।

परम्परागत रूप से, विश्व भर की नौसनाएं सशस्त्र सेवाओं के अन्य स्कंधों की तुलना में विकास और समेकन के लिए अधिक समय लेती है। यह नौसैनिक पोतों की जटिल रक्षा प्रणालियाँ, आधुनिक शस्त्र समेत उन्नत डिज़ाइनों, सूचनाओं व नौचालन प्रौद्योगिकियों के

[1] विमान वाहकों, ध्वंसकों,फ्रिगेटों और कार्वेटों, जैसे प्रमुख युद्धपोत सम्मिलित हैं।

प्रयोग के कारण है। लम्बे निर्माण समय के साथ-साथ भारी पूंजी निवेश पोत-निर्माण प्रक्रियाओं की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं, जो जटिल और गहन तथा अनेक हस्तियों के साथ घनिष्ठ समन्वय की अपेक्षा रखती हैं। पोत अधिग्रहण के सम्बन्ध में भारतीय नौसेना की संकल्पना अपने पोतों का निर्माण भारतीय पोत प्राँगणों में करने पर आधारित है। 85 से अधिक पोतों और पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण किया गया है।

फ्रिगेट श्रेणी (प्रोजेक्ट 17)

रक्षा मंत्रालय के अधीन तीन मुख्य पोत प्रांगण[2] है, यथा मुम्बई में मझॅगांव डाक लिमिटेड (एम. डी.एल.) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.) और कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जी.आर.एस.ई.) । एम.डी.एल. भारत का सर्वप्रथम पोतप्रांगण है, जो ध्वंसक,पनडुब्बियाँ, स्टेल्थ फ्रिगेट जैसे प्रमुख युद्धपोतों के निर्माण में लगा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी.एस.एल.), जो कभी एम.डी.एल. का हिस्सा रहा है, आज भारत के प्रमुख पोतप्रांगणों में से एक है, जो भारतीय नौसेना के लिए मध्यम आकार के उन्नत पोतों का निर्माण करता है, जबकि जी.आर.एस.ई. भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल के लिए युद्धपोतों एवं अन्य पोतों का निर्माण कर रहा है। पोत निर्माण के अतिरिक्त जी.आर.एस. ई. पोत में उपयोग हेतु विभिन्न अभियांत्रिकी उत्पादों एवं डेक यंत्रावली का निर्माण भी करता है।

सितम्बर 1986 और मार्च 2003 के बीच, सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी.एफ.ए.) ने प्रोजेक्ट 15क, 16क, 17 एवं 28[3] के अधीन रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[4] में निर्माण किए जाने हेतु 16 फ्रिगेटों, ध्वंसकों और कार्वेट श्रेणी के पोतों के स्वदेशी निर्माण के लिए अनुमोदन किया।

---

2 डी.पी.एस.यू. - रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

3 पी15क, पी17 और पी28

4 पूर्वोक्त

1.2 युद्धपोत निर्माण अभ्यास एवं प्रक्रियाएं

पोत निर्माण कार्यक्रम में अनेक तत्व सम्मिलित हैं, जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिनमें संभाव्यता अध्ययन, डिज़ाइन सम्बन्धी मुद्दे, प्रणाली एकीकरण, निर्माण, जांच व परीक्षण शामिल है। इसमें प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और हस्तांतरण, उपस्कर का चयन नए उपस्कर का विकास, अनेक स्वदेशी एवं विदेशी पूर्तिकत्ताओं से बड़ी संख्या में शस्त्रों और सेंसरों सहित अनेक मदों की पहचान एवं खरीद भी सम्मिलित है। युद्धपोत निर्माण प्रक्रिया मिशन आवश्यकताओं के साथ प्रारम्भ होती है तथा निर्माण क्षमता और लागत अनुमान से उत्कर्ष पर पहुंचती है इसका चित्रण आरेख में दिया गया है।

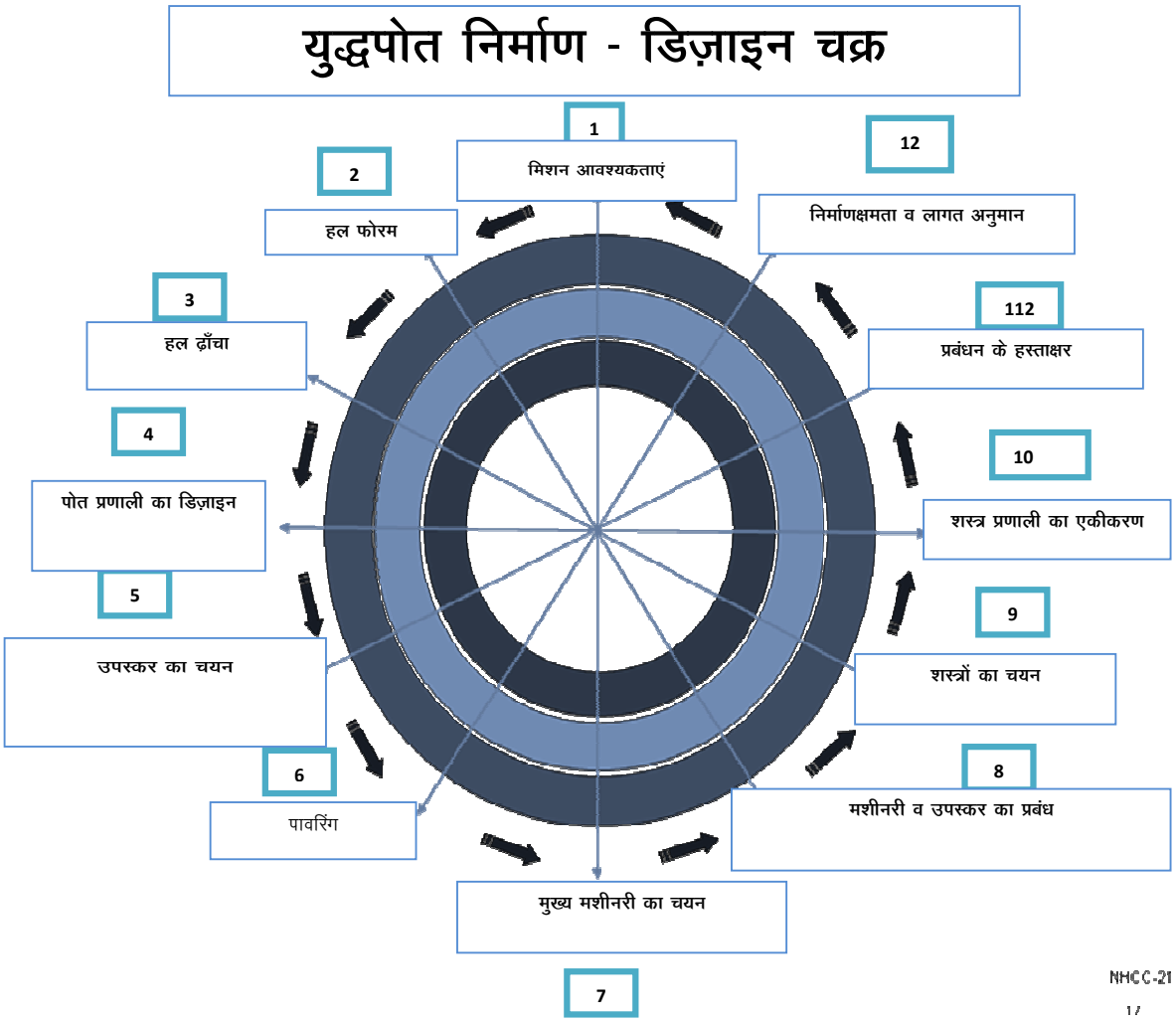

भारतीय नौसेना की पोत निर्माण प्रकिया

नौसैनिक पोत निर्माण प्रक्रिया[5] रेखाचित्र में दर्शाए गए निम्नलिखित सोपानों का खुलासा करती है। इसका विवरण परिशिष्ट -I में दिया गया है।

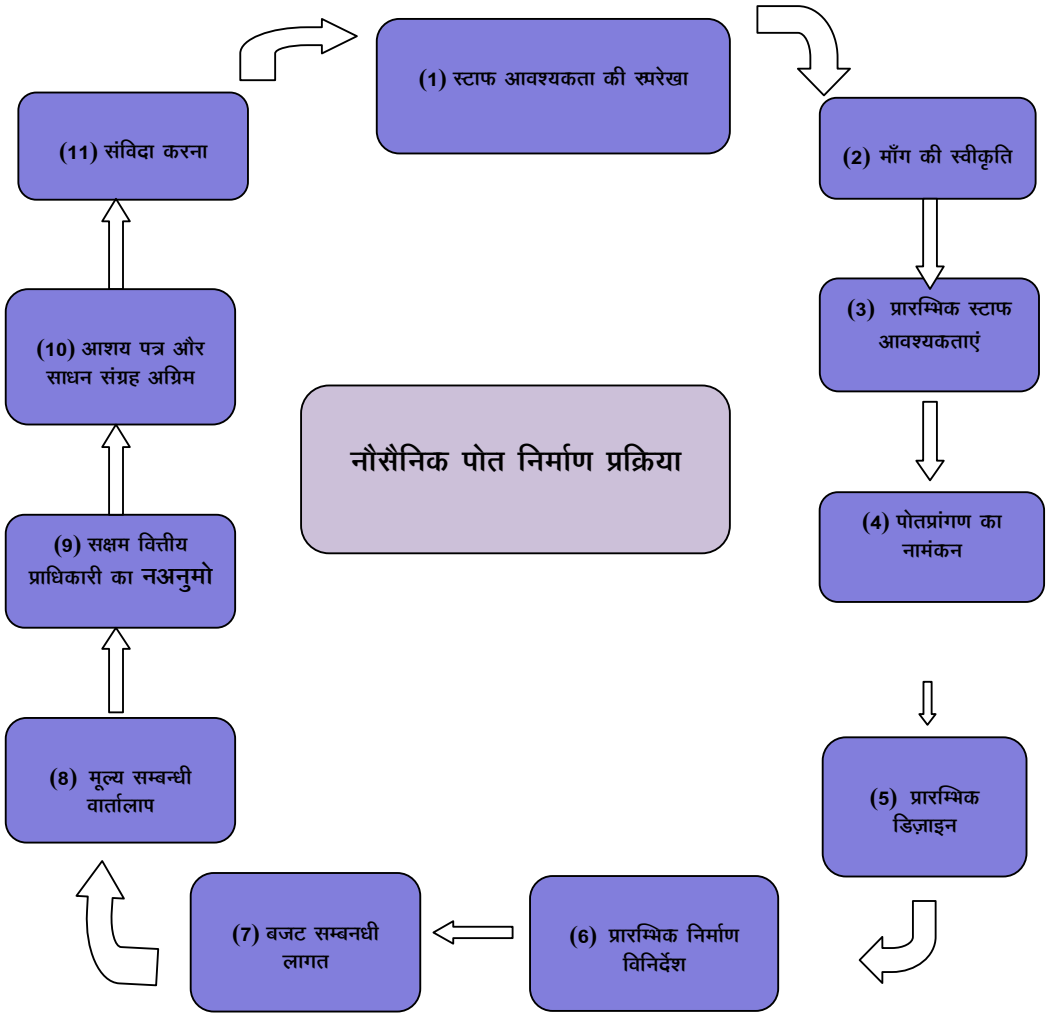

[5] यह कार्यविधि 1 जुलाई 2005 से लागू की गई है। भारत में युद्धपोत निर्माण हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में इस कार्यविधि का उपयोग किया गया है। तथापि, इस प्रक्रिया से होने वाले विचलनों को निष्पादन लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु अनियमितता की कोटि में नहीं रखा गया, क्योंकि इस कार्यविधि के प्रभावी हो जाने के पूर्व सक्षम वित्तीय प्राधिकारी की मंजूरी, आशय पत्र जारी करना जैसे अनेक कार्य हो चुके थे।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

पोत निर्माण और उसकी निगरानी में विभिन्न निदेशालय शामिल हैं, यथा रेखाचित्र में दिया गया है। नौसेना मुख्यालय में, निर्माण एवं निगरानी सम्बन्धी कार्य दो स्कंधों में विभाजित है। युद्धपोतों की संस्वीकृति और निर्माण तक के सभी क्रियाकलापों में नौसेना उपाध्यक्ष का सम्बन्ध है। निर्माण कार्यों की संवीक्षा के लिए सामग्री संवीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी है। दोनों नौसेनाध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं (सी.एन.एस.)।

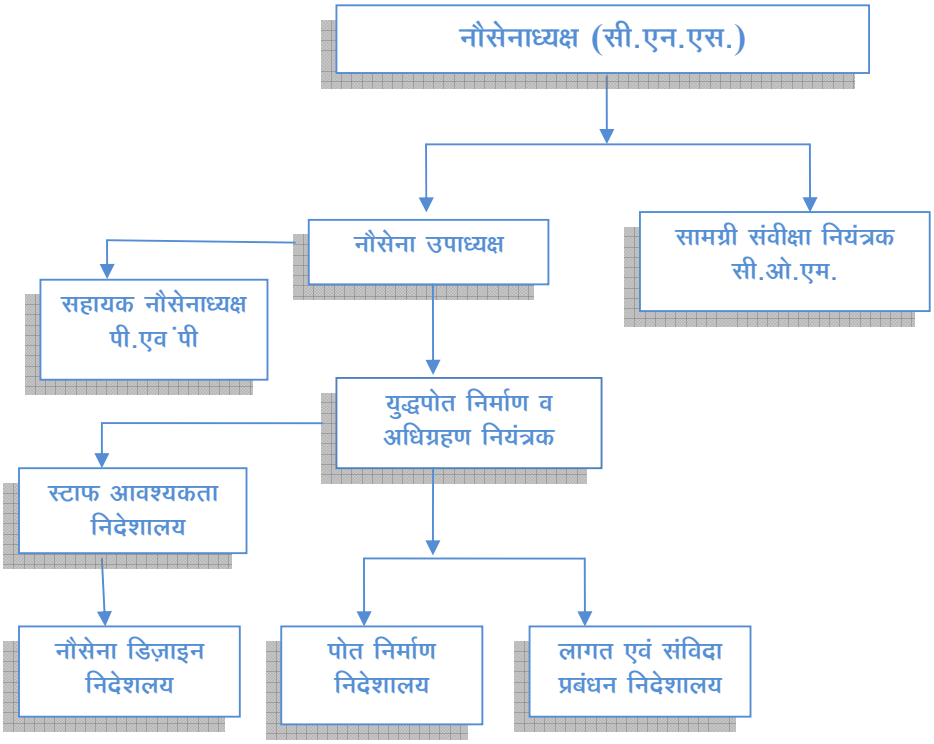

नौसेना के सभी संदर्भ, बल स्तर, वित्तीय एवं अवसरंचनात्मक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रवर्तन के लिए सहायक नौसेनाध्यक्ष (नीति एवं योजना) नौसेना उपाध्यक्ष को जवाबदेह है। स्टाफ आवश्यकता निदेशालय सभी पोतों की स्टाफ आवश्यकताओं को बनाने और पोतारोही शस्त्र आदि के लिए उत्तरदायी है। नौसेना डिज़ाइन निदेशालय के पास अभियंताओं की एक टीम है, जो विभिन्न पोतों के डिज़ाइन का कार्य करती है। पोत निर्माण निदेशालय दोनों ही युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रक के अधीन हैं। लागत एवं संविदा प्रबंधन निदेशालय, जो युद्धपोत निर्माण एवं अधिग्रहण नियंत्रक के अधीन है, बजट नियंत्रण का कार्य करता है तथा निर्माणाधीन पोतों के लिए संविदा करने में समन्वय का कार्य करता है। इस प्रकार, निर्माणाधीन पोतों से संबन्धित डिज़ाइन, निर्माण, उपस्कर/सामग्री की अधिप्राप्ति और वित्तीय नियंत्रण हेतु ये निदेशालय उत्तरदायी हैं।

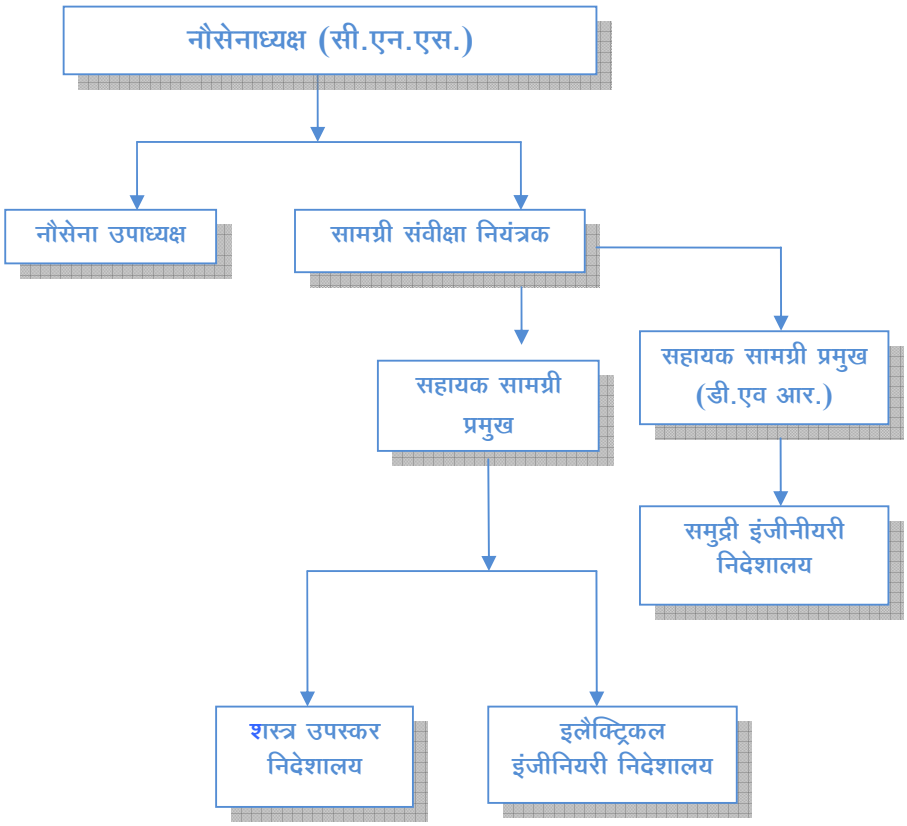

विभिन्न प्रकार के पोतारोही उपस्करों के प्रबंधन हेतु सामग्री संवीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी है। पोत खोल और पोत खोल से सम्बन्धित उपस्कर एवं प्रणालियों तथा समुद्री इंजीनियरी उपस्कर और प्रणालियों के अधिष्ठापन, संदोहन और प्रबंध की योजना एवं समन्वय के लिए सहायक सामग्री प्रमुख (डॉकयार्ड और रिफिट) उत्तरदायी है जिसके लिए पोतों पर समुद्री इंजीनियरी प्रणालियों के एकीकरण हेतु तथा उनके चयन, अधिप्राप्ति, जाँच, स्वीकृति और अनुरक्षण अनुसूची के विनिर्देशों के निर्धारण हेतु उनके अधीनस्थ समुद्री इंजीनियरी निदेशालय का उत्तरदायित्व है। स्टाफ शाखा द्वारा जारी नौसेना स्टाफ आवश्यकताओं के उपयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रॉनिकल, शस्त्र, सेंसर एवं प्रक्षेपास्त्रों के क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान और अधिष्ठापन हेतु सहायक सामग्री प्रमुख (सूचना प्रोद्यौगिकी एवं प्रणालियाँ) सामग्री संवीक्षा नियंत्रक के प्रति जवाबदेह है। इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी निदेशालय (डी.ई.ई.) जो उनको रिपोर्ट करता है, इलैक्ट्रिकल, इलैक्ट्रॉनिक्स, सेंसरों एवं सूचना प्रणालियों के निरीक्षण, स्वीकृतियाँ, जांच एवं समस्वरण तथा अनुरक्षण से संबंधित सभी तकनीकी मामलों के लिए उत्तरदायी है, जबकि शस्त्र तकनीकी मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

युद्धपोत निर्माण अधीक्षक, जो नौसेना मुख्यालय का अधिकारिक प्रतिनिधि और युद्धपोत अधिदर्श टीमों का अध्यक्ष है, वित्तीय नियंत्रण करने, निर्माण अनुसूची की प्रगति की जांच और पोतप्रागणों में निर्माणधीन पोतों के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित युद्धपोत निर्माण अधीक्षक तथा उनके अधीनस्थ टीम सभी नव निर्मित पोतों के संबंध में नौसेना मुख्यालय से प्रत्यक्षतः पत्राचार करते हैं।

1.4 वित्तीय परिव्यय

रक्षा मंत्रालय तीन पोतप्रागणों को विभिन्न प्रोजेक्टों के अंतर्गत निधियों का आबंटन कर रहा है, यथा रेखाचित्र में चित्रण है। 2003-04 और 2009-10 के बीच, रक्षा मंत्रालय ने पी17 फ्रिगेट पोतों के लिए 5240 करोड़ रुपए, पी15क ध्वंसक पोतों के लिए 3132 करोड़ रुपए तथा पी28 कार्बेट पोतें के लिए 948.07 करोड़ रुपए का आबंटन किया।

(₹ करोड़ में)